बाह्य परिपत्र सं .14/ डॉस- 03/ 2023 02 फ़रवरी 2023
EC No. 14 /DoS- 03 /2023 02 February 2023

संदर्भ .सं.एनबी.डॉस प्र.का/ओएसएस/ 5696 / जे-1 / 2022-23
Ref.No.NB.DoS.HO/OSS/ 5696 /J-1/2022-23

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
The Chairman/Managing Director
सभी अधिसूचित राज्य सहकारी बैंक
All Scheduled State Cooperative Banks

महोदया/ प्रिय महोदय
Madam/ Dear Sir

स्थलेतर अनुप्रवर्तन प्रणाली (ऑफसाइट) (ओ एस एस)विवरणी "सीआरएआर पर विवरण – ओएसआर" – को प्रस्तुत करने की तिथियों में संशोधन

Offsite Surveillance System (OSS) – Revision of Due Dates for Submission of "OSC–7 - Statement on CRAR" Return

हम आपका ध्यान सभी अधिसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों को संबोधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 दिसंबर 2007 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी. सीओ. आरएफ़. बीसी. 40/ 07. 38. 03/ 2007-08 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2008 को अपने तुलन-पत्रों में सीआरएआर के स्तर का प्रकटन करें और उसके बाद प्रति वर्ष अपने तुलन-पत्रों के लिए 'लेखों पर नोट्स' के रूप में प्रकटन करें. सीआरएआर ढांचे को शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) की सुदृढ़ता और स्थिरता को मजबूत करना था. ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को यह भी सूचित किया गया था कि वे	We invite a reference to RBI Circular No. RPCD. CO. RF. BC. 40/ 07. 38. 03/ 2007-08 dated 04 December 2007 addressed to Chairmen/Managing Directors of all State and Central Cooperative Banks. As per this circular all concerned banks were advised to disclose the level of CRAR as on 31 March 2008 in their Balance Sheets and thereafter every year as 'Notes on Accounts' to their Balance Sheets. The fundamental objective behind introducing CRAR framework was to strengthen the soundness and stability

निर्धारित प्रारूप में पूंजी निधियों और जोखिम आस्ति अनुपात को इंगित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें और यह विवरणी उन दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए जो भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं.	of the RCBs. RCBs were also advised to furnish an annual return to RBI Regional Office / NABARD Regional Office, indicating capital funds and risk assets ratio, in the prescribed format and the return should be signed by two officials who are authorised to sign the statutory returns submitted to the Reserve Bank of India.
2. इसके अलावा, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को दिनांक 07 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या. आरपीसीडी.सीओ.आरसीबी.बीसी.73/07.51.012/2013-14 माध्यम से सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2015 से निरंतर आधार पर 9% का न्यूनतम सीआरएआर चरणबद्ध तरीके से हासिल करें और इसे बनाए रखें.	2. Further, RCBs were advised vide Circular No. RPCD. RCB. BC. 73/ 07. 51. 012 /2013-14 dated 07 January 2014 to achieve and maintain a minimum CRAR of 9% in a phased manner on an ongoing basis with effect from March 31, 2015.
3. भारतीय रिजर्व बैंक ने इंगित किया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में अधिसूचित राज्य सहकारी बैंकों की भागीदारी तय करने हेतु उनके लिए आवश्यक सीआरएआर की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाएगी और तदनुसार नाबार्ड को अधिसूचित राज्य सहकारी बैंकों के सीआरएआर की स्थिति तिमाही आधार पर प्रदान करने हेतु सूचित किया गया है.	3. RBI has indicated that the CRAR requirement of Scheduled StCBs will be reviewed henceforth on an ongoing basis for deciding their participation in Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF) and accordingly NABARD has been advised to provide the CRAR position of Scheduled StCBs on a quarterly basis.

4. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, "ओएसआर–7 - सीआरएआर पर विवरण" की आवधिकता को "तिमाही" में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, जो अन्य बातों के साथ–साथ, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के प्रदर्शन का विश्लेषण करने की प्रभावशीलता में सुधार करने में सक्षम होगा. इस तरह की पहली विवरणी 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु तैयार की जाए और इसे अधिकतम 15 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत किया और उसके बाद आवधिकता और समय-सीमा के अनुरूप निम्नानुसार प्रस्तुत करें:

तिमाही	**समाप्त होने वाली अवधि**	**नियत तिथि**
जून	30 जून	31 जुलाई
सितंबर	30 सितंबर	31 अक्तूबर
दिसंबर	31 दिसंबर	31 जनवरी
मार्च (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च	30 अप्रैल
मार्च (लेखापरीक्षित)	31 मार्च	30 जून

5. पर्यवेक्षित संस्थाएँ विवरणी प्रस्तुत करने हेतु आवधिकता और समय-सीमा में किए गए संशोधन का अध्ययन करें अपने आंतरिक एमआईएस में उपयुक्त

4. In accordance with RBI instructions, it has been decided to revise the periodicity of the return "OSC-7 – Statement on CRAR" to "Quarterly" which would, inter alia, enable to improve the efficacy of analysing the performance of RCBs in a systematic and timely manner. The first of such return is published for the quarter ending 31 December 2022, which may be submitted latest by 15 February 2023 and thereafter as per the periodicity and timelines prescribed as under:

Quarter	**Period ending**	**Due Date**
June	30 June	31 July
September	30 September	31 October
December	31 December	31 January
March (Unaudited)	31 March	30 April
March (Audited)	31 March	30 June

5. The SE may study the revision in periodicity and timelines for submission of the return and make suitable changes/improvements in its internal MIS

बदलाव/सुधार करें ताकि विवरणी निर्धारित नियत तिथियों के भीतर प्रस्तुत की जा सके.	so that the return can be submitted within the prescribed due dates.
6. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाबार्ड द्वारा ओएसएस/एफएमएस विवरणियां निर्धारित की जाती हैं और इसलिए यह प्रकृति में सांविधिक हैं. अत: सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इन विवरणियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बिना किसी चूक के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. विवरणियाँ जमा न करने या इन विवरणियों में गलत रिपोर्टिंग करने पर अधिनियम में यथानिर्दिष्ट विनियात्मक कार्रवाई की जा सकती है.	6. The OSS / FMS returns are prescribed by NABARD in exercise of the powers conferred under Section 27(3) of Banking Regulation Act, 1949 (AACS) and are hence statutory in nature. All banks are, therefore, advised to ensure submission of these returns as per the schedule prescribed without fail. Non-submission of returns or wrong reporting in these returns attracts regulatory action as specified in the Act.
7. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें.	7. Please acknowledge the receipt of this circular to our Regional Office concerned.
भवदीय /- (डी के गवली) महाप्रबंधक	Yours faithfully Sd/- (D K Gawali) General Manager